रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72

REGISTERED No. D.(D)-72

CENTRAL SECRETARIAT GOVT. OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 194] नई दिल्ली, मंगलवार, 3 अक्तूबर, 1978/आश्विन 11, 1900

No. 194] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 1978/ASVINA 11, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना संख्या 71 आई टी सी (पी एन)/78

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 1978

विषय : 1977-78 के लिए पश्चिम जर्मन पण्य क्रेडिट डी एम 75 मिलियन के अधीन विस्तार किए गए आयात लाइसेंसों के निर्गमन को शासित करने वाली शर्तें।

1977-78 के लिए पश्चिम जर्मन पण्य क्रेडिट डी एम 75 मिलियन के अधीन विस्तार किए गए आयात लाइसेंसों के निर्गमन को शासित करने वाली शर्तें जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती है।

परिशिष्ट

1977-78 के लिए पश्चिम जर्मन पण्य-वस्तु क्रेडिट डी एम 75 मिलियन के अधीन आयातों के लिए लाइसेंस जारी करने से सम्बन्धित शर्तें

खंड—1 : सामान्य शर्तें

1(1). ये शर्तें 1977-78 के लिए पश्चिम जर्मन पण्य वस्तु क्रेडिट डी एम 75 मिलियन के अंतर्गत सभी आयातकों के लिए एक समान लागू होंगी।

1(2). लाइसेंस पर एक अभिलेख "1977-78 के लिए पश्चिम जर्मन पण्य वस्तु क्रेडिट डी एम 75 मिलियन" होगा। लाइसेंस कोड में प्रथम एवं द्वितीय प्रत्यय "एस/जी एन" होंगे। ये मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात द्वारा आयात लाइसेंस के साथ भेजे जाने वाले पत्र में भी दोहराए जाएंगे।

1(3). 1 अप्रैल, 1977 को या इसके बाद जारी किए गए आयात लाइसेंस ही इस क्रेडिट के अंतर्गत विस्तार के लिए पात्र होंगे।

1(4). बैंक प्रभार जो सामान्य बैंक सूत्रों के माध्यम से प्रेषित किए जा सकते हैं उनके अतिरिक्त आयात लाइसेंस के मद्दे किसी प्रकार के विदेशी मुद्रा के प्रेषण की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति किसी प्रकार का भुगतान भारत में अभिकर्ताओं को भारतीय रुपए में ही किया जाना चाहिए। लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस का एक भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस के लिए लिये जाएंगे।

1(5). इस आयात लाइसेंस के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले माल तथा सम्बद्ध सेवाएं वैस्ट बर्लिन तथा किसी भी अन्य देश सहित जर्मनी संघीय गणराज्य से आयात की जा सकती है। इसलिए विदेशी संभरक को स्वतंत्रता है कि वह संविदा निष्पादन के लिए यदि आवश्यक समझे तो किसी तृतीय देश से माल आदि प्राप्त कर सकता है।

1(6). इस क्रेडिट के अंतर्गत न्यूनतम मूल्य जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी किया जा सकता है, वह 50,000 रुपये है। विदेशी मुद्रा में मूल्य की गणना करने के प्रयोजनार्थ जिसमें लाइसेंसधारी द्वारा इस लाइसेंस के मद्दे आयात वचनबद्धता की जा सकती है, वह आयात लाइसेंस के मूल्य की गणना सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 15 के अधीन राजस्व विभाग (सीमाशुल्क) द्वारा अधिसूचित और वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 78—आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 6 जून, 1974 की कंडिका 2 में संकेतित अनुसार दरों पर की जानी चाहिए।

1(7). पोतलदानों और भुगतानों को पूरा करने के लिए आयात लाइसेंस लागत बीमा भाड़ा के आधार पर प्रारम्भिक 12 मास की वैधता अवधि के लिए जारी किए जाएंगे। पक्के आदेश अर्थात् भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा विदेशी संभरकों के लिए उनके द्वारा विधिवत् पुष्टिकरण के साथ दिए गए आदेश या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित क्रय संविदा, लाइसेंस जारी होने की तारीख से 4 मास की अवधि के भीतर अवश्य ही पूर्ण हो जाने चाहिए।

[देखें नीचे कंडिका 1(8)]

1(8). यदि उपर्युक्त कंडिका (7) में उल्लिखित पक्के आदेश 4 मास की सीमा अवधि के भीतर पूर्ण नहीं किए जा सकते हैं तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह मूल्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (सी०सी०आई० एंड ई०) या अन्य लाइसेंस प्राधिकारियों को, जैसा भी मामला हो, आदेश देने के लिए समय में वृद्धि के सुझाव को प्रस्तुत करे और इसके साथ औचित्य और विवरण भेजें कि प्रारम्भिक वैधता अवधि के भीतर आदेश देने का कार्य क्यों नहीं पूर्ण किया जा सका। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले में पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा और वे अधिक से अधिक 4 मास तक की और अवधि वृद्धि की स्वीकृति दे सकते हैं। लेकिन, यदि आयात लाइसेंस के जारी होने की तारीख से 8 मास से परे वृद्धि की मांग की जाती है तो निरपवाद रूप से ऐसे आवेदन लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई–1 शाखा) वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे, जो प्रत्येक मामले में पात्रता के आधार पर ऐसी वृद्धि के लिए विचार करेगा और लाइसेंसधारी को संचारित करने के लिए अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेगा। लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारी से इस प्रकार की प्राप्त की गई वृद्धि के अनुमत पत्र के प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय प्राधिकारी बैंक गारन्टी की, साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्रों की, समतुल्य रुपये के निक्षेप आदि की स्वीकृति की सुविधा की अनुमति देंगे।

1(9). यह लाइसेंसधारी के अपने हित के लिए होगा कि वह इसका सुनिश्चय करे कि आदेश देने का कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण कर दिया जाता है। उन मामलों में जहां ऐसा नहीं किया जा सकता है तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह स्वयं आदेश देने के लिए अवधि वृद्धि के लिए लाइसेंस प्राधिकारी के साथ सम्पर्क स्थापित करे।

1(10) ऐसे मामलों में जहां लाइसेंस की वैधता अवधि के दौरान लाइसेंस के पूरे मूल्य के लिए पक्के आदेश नहीं दिए गए हैं तो लाइसेंसधारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह ऐसे लाइसेंस के शेष मूल्य के लिए न दिए गए आदेश के मद आदेश देने से पूर्व पैरा 1(8) में यथाकथित विधि से लाइसेंस प्राधिकारियों की अनुमति प्राप्त करे।

खंड—2 संविदा करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष शर्तें :

2(1). नीचे पैरा 2(10) के अधीन आयात लाइसेंस का उस आयात किए गए माल के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए जिसकी सुपुर्दगी अवधि पक्के आदेशों के जारी होने की तारीख से 10 मास से अधिक नहीं होती है।

2(2) निजी क्षेत्र के आयातकों के मामले संभरण आदेश लागत बीमा भाड़ा या लागत एवं भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के आयातकों के मामले में आदेश निरपवाद रूप से लागत एवं भाड़ा के आधार पर ही दिए जाने चाहिए और बीमा कम्पनी के साथ बीमा करा लेना चाहिए। [नीचे परा 2(4)देखें]

2(3) संविदा को निरपवाद रूप से उस देश की मुद्रा में अभिव्यक्त किया जाना चाहिए जिसमें विदेशी संभरक स्थित है। संविदा मूल्य पक्का तथा अंतिम होना चाहिए और इसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी के लिए किसी भी व्यवस्था के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। विदेशी संभरक के भारतीय अभिकर्ता को यदि किसी प्रकार का कमीशन अदा किया जाता है तो इसे संविदा में स्पष्टतया भारत में भारतीय रुपये में अदा की जाने कीमत के मद के रूप में दर्शाया जाना चाहिए और इस लिए विदेशी संभरक को अदा की जाने वाली वास्तविक धनराशि को ऐसे भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के अतिरिक्त के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

2(4) जब कभी भारतीय बीमा कम्पनी के साथ बीमा किया जाता है तो किस्त भारत में भारतीय रुपए में ही अदा की जानी चाहिए।

2(5) चूंकि उपर्युक्त परा 2(2) की शर्तों के अनुसार संविदाएं या लागत एवं भाड़ा या लागत बीमा भाड़ा के आधार पर करनी अपेक्षित है, विदेशी संभरकों को ही विदेशी मुद्रा में भाड़ा प्रभारों को अदा करने के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए और उन स्थितियों में भी जबकि भारतीय जहाज प्रयोग में लाए जाते हैं। किसी भी परिस्थिति में भाड़ा प्रभार भारतीय रुपये में अदा नहीं किए जाने चाहिए।

2(6) लाइसेंस के मद्दे विदेशी संभरकों को भुगतान नीचे खंड 3 में बताए गए विशेष साखपत्र के माध्यम से ही किए जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए प्रस्तुत आयात लाइसेंस के मद्दे किसी प्रकार के विदेशी मुद्रा के प्रेषण की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

2(7) इसे भली भांति समझ लेना चाहिए कि जहाज पर निःशुल्क कीमत के साथ साथ पश्चिम जर्मन क्रेडिट के अंतर्गत भाड़ा प्रभार भी शामिल करने के लिए पात्र हैं बशर्ते कि भाड़ा विदेशी मुद्रा में अदा किया जाता है।

2(8) जहां तक आयात लाइसेंस के मद्दे खरीद किए गए माल के परिवहन का सम्बन्ध है वह पार्टी जो क्रय संविदा के अंतर्गत माल के लदान की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है उसे वाहक को चुनने की स्वतंत्रता होगी। पोतलदान या तो जिस देश में संभरक रहते हों उस देश से या एक तीसरे देश से किए जा सकते हैं।

2(9) विशेष मामलों में जहां सार्वजनिक क्षेत्र के आयातक जहाज पर निःशुल्क मूल्य के आधार पर आदेश देने के इच्छुक हैं, उन्हें चाहिए कि वे जहाज पर निःशुल्क मूल्य के आधार पर ऐसे आदेशों को देने के लिए आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई–1 शाखा) वित्त मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें और ऐसे अनुमोदन का या उल्लेख सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए दिए जाने वाले आवेदनपत्र में किया जाना चाहिए। जब जहाज पर निःशुल्क मूल्य के आधार पर आदेश देने के लिए स्वीकृति दे दी जाती है तो सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं को चाहिए कि वे जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय की जहाजरानी समन्वय समिति या उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं के माध्यम से माल के पोतलदान के लिए व्यवस्थाएं करें।

2(10) विदेशी संभरकों को भुगतान आयात लाइसेंस के अंतर्गत 31 मार्च, 1979 तक पूरे कर दिए जाने चाहिएं। इसलिए 31-3-79 तक पोतलदान और भुगतान को पूरा करने के सुनिश्चय के लिए क्रय आदेशों/संविदाओं में एक उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि किसी मामले में यह प्रत्याशा की जाती है कि भुगतान उस तिथि तक नहीं किया जा सकता तो अवधि वृद्धि का पर्याप्त औचित्य देते हुए अर्थ कार्य विभाग, (सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक) यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को 28 फरवरी, 1977 तक अवश्य आवेदन कर देना चाहिए। इस प्रकार के आवेदनों पर पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा।

खंड 3 : विदेशी संभरक को भुगतान—"विशिष्ट" साखपत्र क्रिया-विधि

3(1) पक्के आदेश देने के 15 दिनों के भीतर (जैसाकि उपर्युक्त पैरा 1(7) में बताया गया है। लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह परिशिष्ट-1 में निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू०सी०ओ० बैंक, बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-1 को आवेदन करे। आवेदनपत्र में विशेष रूप से निम्नलिखित 7 नामित बैंकों में से

चुने जाने वाले उप बैंक का नाम दिया जाना चाहिए जिसके माध्यम संभरकों को भुगतान की व्यवस्‍ जानी आवश्यक है :—

(क) दि बेयरिशे वेयरिन्स ंक, मुनिख

(ख) दि कामर्स बैंक, ए०जी० फ्रैंकफर्ट

(ग) दि ड्यूटशे बैंक, ए०जी० पोस्टफेच 101440 डी-2000 हैम्बर्ग

(घ) दि ड्रेस्डनर बैंक, ए०जी० गेलुसबलेग-7-8-6, फ्रैंकफर्ट/मैन-1

(ङ) दि वर्लिनेर हैंडल्स गेसलशेफ्ट फ्रैंकफर्ट बैंक फ्रैंकफर्ट-मैन।

(च) स्टेट बैंक आफ इंडिया, फ्रैंकफर्ट

(छ) चैरीन्स अंड वैस्ट बैंक, हेम्बर्ग

3(2) निजी क्षेत्र संस्थानों के मामले में उपर्युक्त धारा 3(1) में उल्लिखित आवेदन पत्र के साथ, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 31 के अन्तर्गत स्टाम्प समाहर्त्ता द्वारा विधिवत् न्याय निर्णित, भारत में विदेशी मुद्रा विनिमय में प्राधिकृत अनुसूचित बैंक से एक बैंक गारंटी (अनुबंध 2 में निर्धारित प्रपत्र में) में भेजी जानी चाहिए।

3(3) सार्वजनिक क्षेत्र के आयातकों द्वारा किसी प्रकार की बैंक गारंटी की आवश्यकत

3(4) प जारी करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्राधिका लिए आवेदन करना आयात नियंत्रण विनियमों का उल्लंघन म ना जा सकता है।

3(5) बैंक गारंटी जिस धनराशि के लिए निष्पादित की जानी चाहिए :

जहां कहीं आवश्यक हों, बैंक गारंटी विदेशी मुद्रा में उस धनराशि के समतुल्य रुपए को दर्शाते हुए होनी चाहिए जिसके लिए प्राधिकार पत्र की मांग की गई है। और इसमें अनुबंध 2 में यथाउल्लिखित ब्याज और अन्य प्रभार भी जोड़े हुए होने चाहिए। परिवर्तन की प्रचलित दर वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 78-आईटीसी (पीएन)/74 दिनांक 6 जून, 1974 के पैरा 2 के अनुसार राजस्व विभाग (सीमाशुल्क) द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के हिसाब से होगी। यह दर केवल भेजे जाने वाली गारन्टी के मूल्य का निश्चय करने के प्रयोजन के लिए है। लाइसेंस के अन्तर्गत आयातों की विदेशी मुद्रा कीमत के मद्दे सरकार के खाते में रुपया निक्षेप करने के प्रयोजन हेतु समतुल्य रुपए की गणना आगामी सूचनाओं के जारी होने के तक समय-समय पर यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 15-आईटीसी (पीएन)/72 दिनांक 28-1-1972 तथा सार्वजनिक सूचना संख्या 108 आईटीसी (पीएन)/78, दिनांक 21-7-1972 और सार्वजनिक सूचना सं० 8 आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 17-1-76 के अनुसार विदेशी संभरक के लिए जर्मन बैंक द्वारा भुगतानों की व्यवस्था करने में खर्च डीएम धनराशि के लिए मिली जुली दर के आधार पर करनी पड़ेगी अर्थात् डी एम में यदि विदेशी संभरक लैण्ड बर्लिन सहित पश्चिम जर्मनी में स्थित है या किसी अन्य देश जिसमें विदेशी संभरक स्थित है, उसी मुद्रा में भुगतानों के लिए खर्च डी एम में। इस संबंध में जब और जैसे ही कोई परिवर्तन आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा।

3(6) जब उपर्युक्त पैरा 3(1) में निर्धारित प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन पत्र (जहां आवश्यक हो बैंक गारन्टी द्वारा समर्थित) सही पाया जाता है तो नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय भारत में आयातक के बैंक द्वारा खोले जाने वाले साखपत्र के आधार पर समुद्र पार संभरकों को विशिष्ट धनराशि तक भुगतान को प्राधिकृत करते हुए सम्बद्ध जर्मन बैंक (अनुबंध-4 में यथा-उल्लिखित) के लिए एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा। ऐसे प्राधिकरण की एक प्रति भारतीय लाइसेंसधारी को भेजी जाएगी। मूल प्राधिकार पत्र उसकी एक प्रति के साथ साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत सम्बद्ध भारतीय बैंक को भेजा जाएगा और उसे सम्बद्ध जर्मन बैंक को उसके द्वारा खोले गए साख पत्र के साथ मूल प्राधिकार पत्र को भेजने के लिए कहा जाएगा। इस प्रकार का अनुदेश अनुबंध 3 के रूप में यथा संलग्न प्रपत्र में दिया जायेगा। भारत में किसी भी बैंक से साखपत्र स्थापित करने के लिए लाइसेंसधारी को सुविधाएं नहीं देनी चाहिए जब तक कि ऐसे बैंक द्वारा सीधे ही सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू० सी० ओ० बैंक, बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली से प्राधिकार पत्र प्राप्त नहीं हो जाता है।

3(7) जर्मन बैंक के लिए साख पत्र : नियंत्रक, सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू०सी०ओ० बैंक, बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को सूचना देते हुए प्राधिकरण के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर खोला जाना चाहिए।

3(8) विदेशी संभरकों के लिए भुगतान सम्बद्ध दस्तावेजों एवं विवरणों को इकट्ठा करने के बाद सम्बद्ध नामित बैंक द्वारा किया जाएगा। यहां तक कि जहां विदेशी संभरक जर्मनी संघीय गणराज्य से भिन्न देशों में स्थित है फिर भी दस्तावेजों का भुगतान सम्बद्ध नामित बैंक द्वारा किया जाएगा। सम्बद्ध जर्मन बैंक पश्चिम जर्मन प्राधिकारियों से डीएम धनराशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त करेगा। जर्मनी संघीय गणराज्य से भिन्न देशों द्वारा संभरण के मामले में जर्मन बैंक पश्चिम प्राधिकारियों से उसके द्वारा खर्च डीएम में धनराशि की प्रतिपूर्ति करेगा और यह प्रतिपूर्ति समुद्रपार संभरक को उस देश की मुद्रा में भुगतान करने के लिए होगी जिसमें वे स्थित हैं।

3(9) नामित बैंक द्वारा जर्मनी संघीय गणराज्य में भुगतान के लिए साथ ही साथ तृतीय देश में भुगतान की व्यवस्था दोनों के लिए होने वाले आनुषांगिक बैंक प्रभार भारत में सम्बद्ध बैंक द्वारा भारत सरकार के लेखे को प्रभावी किए बिना सामान्य बैंक सूत्रों के माध्यम से नामित बैंक को प्रेषित किए जाएंगे।

खंड-4 : सरकार के लेखे में रुपया निक्षेप के लिए दायित्व :

4(1) लैण्ड बर्लिन सहित पश्चिम जर्मन से और अन्य दोनों देशों के मामले में मूल लदान दस्तावेज निरपवाद रूप से सम्बद्ध नामित बैंक द्वारा भारत में सम्बद्ध बैंक को भेजे जाने चाहिए जिसे चाहिए कि इन दस्तावेजों की पावती के 10 दिनों के भीतर यह सुनिश्चय कर लेने के बाद लाइसेंसधारी को दस्तावेजों के इस परक्राम्य सेट को रिहा करें कि डी एम धनराशि के समतुल्य रुपए या सम्बद्ध नामित बैंक द्वारा तृतीय देश के संभरक के लिए भुगतान की व्यवस्था में खर्च की गई डीएम धनराशि और इसके साथ जर्मन संभरक को भुगतान की तारीख से सरकार के लेखे में समतुल्य रुपया जमा करने की तारीख तक की अवधि के लिए ब्याज प्रभार जर्मन संभरक को अदा कर दिया गया है। सार्वजनिक सूचना सं० 46 आईटी सी (पीएन)/76 दिनांक 16 जून, 1976 के अनुसार ब्याज खर्चों की गणना निम्नलिखित के अनुसार की जानी चाहिए :—

(i) जिस मामले में संभरक को भुगतान करने की तिथि से बाद में 30 दिनों के भीतर निक्षेप किए गए हों — 9%

(ii) जिस मामले में संभरक को भुगतान की तिथि स बाद में 30 दिनों के बाद रुपया निक्षेप किया गया हो

(क) पहले 30 दिनों के लिए — 9% प्रति वर्ष

(ख) 30 दिनों से अधिक अवधि के लिए — 15% प्रति वर्ष

विदेशी संभरक के लिए विदेशी मुद्रा में किए गए भुगतानों के समतुल्य रुपए के परिकलन के लिए अपनाई जाने वाली विनिमय दर, मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं० 8 आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 17-1-1976 में यथा-निर्धारित या सरकार द्वारा सी सी आई एंड ई० की सार्वजनिक सूचना द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाने वाली या रिजर्व बैंक आफ इंडिया के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से अधिसूचित की जाने वाली मुद्रा विनिमय की मिलीजुली दर होगी। इस बात का सुनिश्चय करने की सम्बद्ध भारतीय बैंक की जिम्मेवारी होगी कि आयात-कों को आयात दस्तावेज देने से पूर्व देय धन राशियां सही रूप से सरकार के लेखे में जमा करा दी गई हैं। लाइसेंसधारी को भी

इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि अपने बैंकरों से दस्तावेजों की सुपुर्दगी लेने से पूर्व देय धनराशियां सही रूप से सरकार के लेखे में जमा करा दी गई हैं।

4(2) उपर्युक्त धारा 4(1) में उल्लिखित जमा को नकद में रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा किया जाए या जहां यह संभव न हो तो धनराशि को सार्वजनिक सूचना सं० 233 आई टी सी (पी एन)/68 दिनांक 24 अक्तूबर, 1968 तथा सार्वजनिक सूचना सं० 74 आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31 मई, 1974 में अपेक्षित अनुसार सरकारी लेखा क्रेडिट के लिए दर्शनी हुंडी के माध्यम से जो कि स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी भी शाखा या नियंत्रित से (आवेशक) प्राप्त की जा सकती है स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी में अभिकर्ता के नाम में निकालने के लिए जमा किए जाए। लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत रुपया जमा किया जाना है वह इस प्रकार है "के--डिपोजिट्स एण्ड एडवान्सेज (बी) डिपोजिट्स नाट बियरिंग इन्ट्रेस्ट 843—सिविल डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फार परचेजिस एक्सेट्रा फ्राम एग्रीड अंडर डी एम 75 मिलियन वेस्ट जर्मन कमोडिटीज क्रेडिट फार 1977-78।"

4(3) राजकोष चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से भेजे जाने चाहिए :—

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र की संख्या और दिनांक।

(ख) परिवर्तन की दर से जमा किए गए के साथ जो रुपए जमा करने हैं, उनके संबंध में विदेशी मुद्रा की धनराशि।

(ग) विदेशी संभरकों को भुगतान की तारीख।

(घ) चुकाए गए ब्याज की धनराशि और वह अवधि जिसमें यह परिकलित किया गया है।

(ङ) जमा की गई कुल धनराशि।

(ब्याज का परिकलन विदेशी संभरकों को किए गए भुगतान की तारीख से सरकार के लेखे में समतुल्य रुपए जमा करने की तारीख तक दोनों दिन शामिल करते हुए किया जाना है)

4(4) रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली-6 से प्राप्त चालान की एक प्रति या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली-6 को प्रस्तुत की गई दर्शनी हुन्डी से संबंध में सूचना सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-1 को उस बैंक द्वारा भेजी जानी चाहिए, जिससे बैंक गारंटी जारी की गई है। इसके साथ एक अग्रेषण पत्र भी भेजना चाहिए जिसमें संबंधित जर्मन बैंक से प्राप्त परामर्श नोट का विस्तृत ब्यौरा दिया हुआ हो।

4(5) आयातकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे आवश्यक रुपये केवल प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से ही जमा करें और सार्वजनिक सूचना सं० 184-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 30 अगस्त, 1968 के अनुसार अपेक्षित उनके द्वारा पृष्ठांकित किए गए लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति भी प्राप्त कर लें। उन्हें रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा निर्धारित आवश्यक "एस" प्रपत्रों को भी पूरा करना चाहिए।

4(6) लाइसेंस के अन्तर्गत आयातों को पूरा करने के बाद आयातकों/बैंकरों ने सभी बाकी धनराशि सरकार के लेखे में जमा कर दी हो तो प्राप्त किए गए आयातों तथा जमा किए गए रुपए के ब्यौरों को सहायता लेखा तथा परीक्षा लेखा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली-1 को अनुबंध 5 में निर्धारित प्रपत्र में भेजना चाहिए जिससे कि जहां आवश्यक हो, आयातकों द्वारा भेजी गई बैंक गारन्टी की रिहाई के लिए सत्यापन करने और व्यवस्था करने में वित्त मंत्रालय समर्थ हो सके।

खंड-5 : विविध व्यवस्थाएं :

5(1) विदेशी संभरकों से साख सुविधाएं :

सहायता लेखा तथा परीक्षा नियंत्रक (सी ए ए ए) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की पूर्व अनुमति के साथ विदेशी संभरकों द्वारा दी गई साख सुविधाएं आयातक उपलब्ध कर सकते हैं, बशर्ते कि :—

(क) विदेशी संभरक अपनी खुद की जोखिम पर बिना किसी प्रकार के पूर्व साख पत्र की स्थापना पर जोर दिए ही माल का जहाज लदान करने का इच्छुक है।

(ख) पोत लदान की तारीख से 90 दिनों से आगे साख सुविधा नहीं बढ़ाई जाती है और यह कि बढ़ाए गए सभी भुगतान 31 मार्च, 1979 से पहले पूर्ण कर लिए जाते हैं;

(ग) बढ़ाए गए साख के लिए आयातकों द्वारा किसी भी प्रकार के ब्याज खर्चों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भुगतान नहीं किया जाता है; और

(घ) आयातक को चाहिए कि वह सी ए ए ए के लिए आवेदनपत्र में निम्नलिखित ब्यौरों को साफ-साफ संकेत करें :—

(1) आयात लाइसेंस का मूल्य।

(2) यदि कोई प्राधिकार पत्र पहले से ही प्राप्त कर लिया है तो इसका मूल्य।

(3) प्रत्येक प्राधिकार पत्र के मद्दे खोले गए साख पत्रों का मूल्य।

(4) मांगी गई साख सुविधा का मूल्य।

(5) इस संबंध में एक प्रमाणपत्र कि उस लाइसेंस में मांगी गई साख सुविधा का मूल्य उपलब्ध है, जिसके मद्दे प्राधिकार पत्र जारी नहीं किए गए हैं/जिसके मद्दे प्राधिकार पत्र जारी कर दिए गए है, और पर्याप्त मूल्य उपलब्ध हैं जिसके लिए आगामी किसी प्रकार के साख पत्र नहीं खोले जाएंगे/या पोतलदान नहीं किए जाएंगे।

वे आयातक जो उपर्युक्त शर्तों को पूरा कर देते हैं उन्हें अनुरोध करने पर सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली द्वारा अपनाई जाने वाली विस्तृत क्रिया विधि की सूचना दे दी जाएगी।

5(2) संभरकों को विशेष शर्तें अधिक सूचित करना :

लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह आयात लाइसेंस में किसी भी विशेष व्यवस्था के बारे में विदेशी संभरक को अवगत कराए जो संभरकों पर सौदों का पालन करने में प्रभाव डाल सके।

5(3) विवाद :

यह जान लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच किसी प्रकार का विवाद उठ खड़ा होता है तो भारत सरकार किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं लेगी।

5(4) अनुदेशों का अनुपालन करना :

लाइसेंस आयात लाइसेंस या इससे संबंधित किसी एक या सभी मामलों पर तथा के० एफ० डब्ल्यू० प्राधिकारियों के साथ ही डी० एम० 75 मिलियन पण्यवस्तु क्रेडिट करार के अन्तर्गत सभी प्रकार के आभारों को पूरा करने के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों, आदेशों का तुरन्त पालन करेगा।

5(5) उल्लंघन या अतिक्रमण :

उपर्युक्त कंडिका में दी गई शर्तों के उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

5(6) अनुबंधों की सूची :—

अनुबंध—1 साखपत्र प्राधिकरण के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

अनुबंध—2 बैंक गारन्टी का प्रपत्र

अनुबंध—3 प्राधिकारपत्र को प्रेषित करने वाले अनुदेशपत्र का प्रपत्र

अनुबंध—4 प्राधिकारपत्र का प्रपत्र

अनुबंध—5 रुपया निक्षेप करने की रिपोर्ट और बैंक गारन्टी की रिहाई के लिए आवेदनपत्र का प्रपत्र।

अनुबंध—I

प्राधिकार पत्र को जारी करने के लिए आवेदन

सेवा में,

नियंत्रक,

सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक,

वित्त मंत्रालय, अर्थ कार्य विभाग,

यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट,

नई दिल्ली—110001

विषय :—1977-78 (डी०एम० 75 मिलियन क्रेडिट) के लिए पश्चिम जर्मन पण्य क्रेडिट के अन्तर्गत .... से .... का आयात।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित पश्चिम जर्मन पण्य क्रेडिट के अन्तर्गत .... से .... का आयात करने के सम्बन्ध में हम निम्नलिखित ब्यौरा आपको देते हैं कि .... के माध्यम से बेयरिशे वेरिंस बैंक, म्युनिख या कामर्ज बैंक, ए० जी० फ्रैंकफर्ट या ड्यूटशे बैंक, ए० जी० हम्बर्ग या ड्रेस्डेनर बैंक ए० जी०, फ्रैंकफर्ट, बर्लिनर हेन्डल्स, फ्रैंकफर्ट बैंक, फ्रैंकफर्ट मेन या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, फ्रैंकफर्ट य. वेरिन्ड अंड वैस्ट बैंक, हम्बर्ग में साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकार जारी कर दें।

(क) आयातक का नाम और पता।

(ख) लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य (आयात लाइसेंस की फोटो प्रति संलग्न की जाए।)

(ग) भुगतान नियमों अर्थात् बं लागत-बीमा-भाड़ा या लागत भाड़ा) (किसी भी मामले में केवल जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के लिए प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन नहीं किया जाना चाहिए) को दर्शाते हुए संभरकों द्वारा दिए गए और स्वीकार किए गए आदेशों की तिथि तथा विदेशी मुद्रा में मूल्य।

(घ) इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र (संभरकों के पुष्टिकरण आदेशों के साथ) कि आयात लाइसेंस के जारी होने के 4 मास की अवधि के भीतर पक्के आदेश दे दिए गए हैं। प्रत्येक संभरक के मद्दे दिए गए आदेश की तिथि और उनके अनुमोदन को प्रमाण-पत्र में अलग-अलग दर्शाया जाना चाहिए। यदि आदेश निर्धारित 4 मास की अवधि के बाद दिए गए हैं तो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का पत्र/वित्त मंत्रालय का वह पत्र जिसमें पक्के आदेशों के देने के लिये समय वृद्धि के लिए प्राधिकार पत्र दिया गया है, उसे संलग्न करना चाहिए।

(ङ) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण।

(च) विदेशी मुद्रा जिसके लिए प्राधिकार पत्र की मांग की गई है।

(छ) संभरकों का नाम तथा पता और ऐसे संभरकों के लिए भुगतान की जाने वाली विदेशी मुद्रा (वह देश जिसमें संभरक स्थित है उसकी मुद्रा में और उसके बराबर डी० एम० धनराशि) बतायी जाती है।

(ज) उस मामले में जब संभरक पश्चिम जर्मनी से भिन्न देश में स्थित है, तो संभरक के उस बैंक का नाम जिसको जर्मनी के नामित बैंक द्वारा धनराशि प्रेषित की जानी है, उसको संकेतित करना चाहिए।

(झ) माल छुड़ाने की अनुमानित तिथि।

(ट) संविदा के अन्तर्गत भुगतान के लिए पड़ने वाली संभावित तिथि को प्रदर्शित करने वाली एक अनुसूची।

साखपत्र जिसके द्वारा खोला जाएगा ....

(विदेशी मुद्रा देने के लिए प्राधिकृत भारतीय)

....

(अनुसूचित बैंक का नाम और पता)

और ऊपर उल्लिखित बैंक द्वारा ....

रुपये के लिए दी गई बैंक गारंटी संख्या .... दिनांक .....

और जो स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 31 के अनुसार स्टाम्प कलक्टर द्वारा विधिवत् निर्णित की गई है, संलग्न है।

भवदीय

(लाइसेंसधारी)

प्रति .... बैंक लि०

को सूचना के लिए प्रेषित।

अनुबन्ध—II

गारन्टी बान्ड

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति

1977-78 के लिए प० जर्मनी पण्य वस्तु क्रेडिट की शर्तों के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंस संख्या .... दिनांक .... के आधार पर .... द्वारा

(जिसे बाद में आयातक कहा गया है)

.... के आयात के लिए और उपर्युक्त समझौते के मद्दे आयातक के लिए आयात के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें बाद में "सरकार" कहा गया है) के हेतु भुगतान करने की व्यवस्था के लिए सहमत होते हुए हम .... बैंक आयातक की प्रार्थना पर, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति से और उचित लेखा शीर्ष में सरकारी लेखे में जमा करने के लिए भुगतानों की सूचना की पावती की तिथि से दस दिनों के भीतर ...... द्वारा व्यय की गई धन राशि को और इस धनराशि में विदेशी संभरक को भुगतान होने की तिथि से सरकारी खाते में समतुल्य रुपया जमा होने की तिथि तक की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज जोड़ कर और इससे अधिक गणना की गई अवधि के लिए 15% वार्षिक दर से ब्याज को जोड़ कर धनराशि जमा करने की व्यवस्था करने का एतद्द्वारा वचन देते हैं। नामित बैंक से प्राप्त आयात प्रलेखों का परक्राम्य सेट आयातक को तभी लौटाया जाएगा जबकि उपर्युक्त अपेक्षित रुपया जमा कर दिया गया हो।

2. हम .... बैं०, समय-समय पर ऐसे स्थान और ऐसी रीति से जो सरकार निर्दिष्ट करे, आयातक द्वारा सरकार को देय अथवा चुकाने योग्य किसी धनराशि को जो .... रुपये से अधिक न हो या निश्चित समय के भीतर आयातक द्वारा देय या चुकाने योग्य धनराशि के किसी भाग को, और विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और इससे गणना की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज को न चुकाने में आयातक की त्रुटि होने पर स्वयं क्षतिपूर्ति करने का और सरकार को क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त रखने का भी वचन देते हैं।

उक्त भुगतान में आयातक द्वारा या उसकी तरफ से किसी प्रकार की त्रुटि और हमारे .....बैंक द्वारा देय धनराशि के संबंध में सरकार का निर्णय अंतिम होगा और हमारे ....बैंक पर लागू होगा।

3. हम .....बैंक, आगे इस बात पर सहमत हैं कि संविदा के अन्तर्गत आयातों के मूल्य में या जो माल छुड़ाना बाकी है उसके मूल्य में उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित मुद्रा विनिमय की मिश्रित दर में परिवर्तन होने की स्थिति में जब से परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन के अनुपात में इस बैंक गारन्टी बॉंड की धनराशि को समायोजित कर लिया जाएगा।

4. हम .....बैंक, आगे सहमत हैं कि इसके अन्दर निहित यह गारंटी उक्त करार/संविदा के निष्पादन होने तक पूरी शक्ति और प्रभाव के साथ लागू होगी और यह तब तक लागू रहेगी जब तक इसके अन्तर्गत सरकार को देय सब बकाया पूर्ण रूपेण नहीं चुकाए जाते और इस गारंटी की हैसियत से दावों को पूर्ण नहीं कर दिया गया हो या वे अदा नहीं कर दिए गए हों।

5. इस गारंटी पर आयातक या वि .....बैंक के विधान में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार को यह पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि गारंटी को प्रभावित किए बिना आयातक पर लागू होने योग्य किसी भी अधिकार को किसी समय या समय-समय के लिए स्थगित करे और पूर्वोक्त मामलों के संबंध में या आयातक को दिए जा रहे समय के कारण या सरकार की ओर से किसी अन्य स्थगन, निर्णय या छूट या सरकार द्वारा आयातक पर किसी अनुग्रह या कानून के अन्तर्गत प्रतिपूर्तियों से संबंधित कोई भी मामला या वस्तु जो इस परन्तुक के लिए दि ....बैंक, को इसके दायित्वों से मुक्त करने के लिए प्रभाव डाले, सरकार द्वारा इन मामलों में किसी प्रकार की स्वतंत्रता को प्रयोग करने से इस गारंटी के अन्तर्गत दि .....बैंक, अपने दायित्वों से मुक्त नहीं होगा।

6. हम .....बैंक अन्त में यह वचन लेते हैं कि सरकार को लिखित पूर्व अनुमति के बिना इस गारंटी को इसकी चालू अवधि के दौरान रद्द नहीं करेंगे।

7. इस गारंटी के अन्तर्गत हमारा दायित्व .....रुपये (ब्याज और कमीशन प्रभार जिसकी आशा गारंटी की धनराशि के 1 प्रतिशत से अधिक होने की नहीं है) तक प्रतिबंधित है और यह गारंटी दिनांक ..... मास** तक और जब तक इस तिथि से 6 महीनों के भीतर इन दावों को लागू करने के लिए आवेदन या कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक लागू रहेंगी। इसके बाद अर्थात् दिनांक .....तक इस बॉंड/गारंटी के अन्तर्गत सरकार के सब अधिकार समाप्त हो जाएंगे और उसके अन्तर्गत हमारे सब उत्तरदायित्वों से हमें छुटकारा और कार्य मुक्ति मिल जाएगी।

दिनांक 197

कृते .....बैंक

हस्ताक्षर

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से श्री .....

(नाम और पदनाम)

हस्ताक्षर .....द्वारा स्वीकृत

**जिस तिथि तक साख पत्र को वैध रखने की आवश्यकता होती है उस अवधि में एक महीना जोड़ कर यह तिथि गिनी जाएगी।

टिप्पणी :—जिस स्टाम्प पेपर पर यह गारंटी कार्यान्वित की जाती है उसके मूल्य का निर्णय भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत स्टाम्प समाहर्ता द्वारा किया जाना है।

अनुबंध—III

विषय :—जर्मन पण्य वस्तु क्रेडिट के अन्तर्गत आयात सूची पत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना। आयात लाइसेंस संख्या.....दिनांक.....

प्रिय महोदय,

.....

से प्राप्त पत्र संख्या.....

दिनांक..... जिसमें उन्होंने 1977-78 के लिए जर्मन पण्य वस्तु क्रेडिट के अन्तर्गत आपके बैंक द्वारा साख पत्र खोलने के लिए अनुमति मांगी है, के संदर्भ में विदेशी संभरक को..... .....तक भुगतान करने के लिए उनको प्राधिकृत करते हुए मैं आर्थिक विभाग, वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र संख्या.....दिनांक..... (एक अतिरिक्त प्रति के साथ) जो..... को जो जारी किया गया था, संलग्न कर रहा हूं। आपको यह प्राधिकार पत्र आपके द्वारा खोले गए साख पत्र के साथ..... .....को भेज देना चाहिए।

2. इस विभाग को अवगत कराते हुए, इस पत्र के जारी होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर आपको साख पत्र खोलने का अधिकार दिया जाता है, जिसकी धनराशि डी० एम० में..... से अधिक नहीं होनी चाहिए। विनिमय नियंत्रण नियम पुस्तक के खंड 7 की कंडिका 10 के अनुसार आपको यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि साख पत्र की समाप्ति की तारीख, संबंधित आयात लाइसेंस में यथा उल्लिखित पोतलदान के लिए अंतिम तिथि या प्राधिकार पत्र में निर्दिष्ट तिथि, इनमें जो भी पहले हो उस तिथि के बाद 45 दिनों से अधिक नहीं है। साख पत्र खोलने से पूर्व इस बात का सुनिश्चिय कर लेना चाहिए कि आयातक के पास वैध आयात लाइसेंस है।

3. आपसे अनुरोध है कि.....से प्राप्त किए गए प्रलेखों के 19 दिनों के भीतर आपके द्वारा भेजी गई गारंटी की शर्तों के अनुसार जर्मनी संघीय गणराज्य में संभरकों के लिए डी० एम० में या अन्य देशों में विदेशी संभरक के लिए अन्य विदेशी मुद्रा में भुगतानों को प्रभावी बनाने के लिए..... (जर्मन बैंक का नाम) द्वारा खर्चे की गई डी० एम० में धनराशि के समतुल्य रुपए को जमा करने की व्यवस्था करे (समतुल्य रुपये की जो धनराशि विदेशी संभरकों को दी जाएगी, भुगतान आदेश जारी होने तक, उसे अदला-बदली की मिली-जुली दर से परिगणित किया जाएगा जैसा कि सार्वजनिक सूचना सं० 15 आई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 28-1-72 तथा सार्वजनिक सूचना सं० 108 आई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 7-12-72 और सार्वजनिक सूचना सं० 8 आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 17-1-76 में निर्देशित है। यह दर परिशोधन के अधीन है। जो समय-समय पर सार्वजनिक सूचनाओं द्वारा अधिसूचित की जाएगी इसके अतिरिक्त संभरकों को किए गए भुगतान की तिथि से तथा जिस तिथि को समतुल्य रुपये जमा किए हैं, दोनों के बीच की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर से और इसमें अधिक अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी सरकार के लेखा में जमा करना है। आयातक को आयात प्रलेखों को दिए जाने से पहले इन धन राशियों को जमा करने की व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी होगी।

4. यह धनराशि या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी, दिल्ली-6 में नकद जमा की जानी चाहिए या यदि यह संभव न हो तो धनराशि को सार्वजनिक सूचना सं० 233 आई टी सी (पी एन)/68 दिनांक 24 अक्तूबर, 1968 तथा सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 31 मई, 1974 में

यथा निर्धारित सरकारी लेखे में क्रेडिट के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी भी शाखा या नियंत्रित आदेशक से प्राप्त दर्शनी हुंडी के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी दिल्ली-6 (प्राप्तकर्ता और हुंडी ग्राहक) जमा करनी चाहिए । लेखा शीर्ष जिस के अन्तर्गत रुपया जमा किया जाना है वह इस प्रकार है "के डिपोजिट्स एंड एडवान्सेज्—(जी)—डिपोजिटस नाट बेयरिंग इन्ट्रेस्ट-843—सिविल डिपोजिट्स—डिपोजिट फार परचेजिस—एटसट्रा फ्राम एड्राड अन्डर डी एम 75 मिलियन वेस्ट जर्मन कमोडिटीज क्रेडिट फार 1977-78"।

5. मनोनीत जर्मन बैंक से प्राप्त सूचना का पूरा विवरण देते हुए एक अग्रेषित पत्र के साथ, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, दिल्ली में समतुल्य रुपया नकद में जमा करने की स्थिति में चालान की एक मूल प्रति आपके द्वारा नीचे लिखे पते पर भेजी जानी चाहिए ।

नियंत्रक, सहायता लेखा, तथा लेखा परीक्षा
वित्त मंत्रालय, अर्थ कार्य विभाग, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली

जिन मामलों में डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा समतुल्य रुपया प्रेषित किया जाता है जैसा कि ऊपर की सार्वजनिक सूचना दिनांक 24 अक्तूबर, 1968 में बताया गया है उनमें उसकी सूचना ऊपर दिए गए पते पर भेजी जानी चाहिए । सभी स्थिति में, ब्याज की जो राशि चुका दी गई है और जिस अवधि के लिए ब्याज परिगणित किया गया है, उसके साथ जमा किए गए समतुल्य रुपये का पूरा विवरण इस विभाग को भेज देना चाहिए ।

भवदीय,

लेखा अधिकारी

प्रतिलिपि सेवा में, सर्वश्री .....
को प्राधिकार पत्र संख्या .....
की, एक प्रति के साथ सूचनार्थ उनके ऊपर दिए गए पत्र के संदर्भ में, यदि माल भेजने में विदेशी संभरकों को कोई कठिनाई अनुभव हो तो सर्वश्री शेन्कर एंड कम्पनी, हेमबर्ग पश्चिम जर्मनी की सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

लेखा अधिकारी

6. प्रत्येक साख पत्र के मद्दे प्रयोग की गई धनराशि और बाकी रही धनराशि जिसका उपयोग नहीं किया गया (विदेशी मुद्रा में) ।

7. इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र कि उपर्युक्त 6 में संकेतिक शेष का उपयोग नहीं किया गया है और उसका पोत-लदान नहीं किया गया है, तथा उसको समाप्त हुआ समझा जाए ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

अनुबंध-4

प्राधिकार पत्र की सं० .....

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1976

सेवा में,

(प० जर्मनी में मनोनीत बैंक का नाम और पता)

विषय :—जर्मन संघीय गणराज्य से 1977-78 के लिए पण्यवस्तु क्रेडिट के अधीन आपके साथ साखपत्र निक्षेप लेखे के माध्यम से विदेशी संभरकों को भुगतान करने के लिए क्रियाविधि।

प्रिय महोदय,

मुख्य लेखा अधिकारी, भारत का उच्चायोग, लंदन द्वारा आपके बैंक को सम्बोधित पत्र सं० ..... दिनांक ..... से सहमत होते हुए उपर्युक्त क्रियाविधि की शर्तों के अनुसार हम एतद् द्वारा आपको ..... के द्वारा की गई संविदा के मद्दे ..... के आयात को शामिल करते हुए ..... के द्वारा खोले गए साख पत्र के अधीन डी एम में वह धनराशि संभरक का नाम ..... (तीसरे देश के संभरकों के मामले में लागू) को उनके बैंकरों ..... के माध्यम से चुकाने के लिए प्राधिकृत करते हैं जिसका चुकाना आवश्यक हो या ..... (पश्चिमी जर्मनी संभरक के मामले में लागू) को ..... डी एम की धनराशि चुकाने के लिए प्राधिकृत करते हैं, जो भी मामला हो।

2. प्रत्येक भुगतान के बाद पोतपरिवहन और अन्य दस्तावेज (परक्राम्य) सीधे ही ..... को भेजे जाएं और दस्तावेजों (अपरक्राम्य) के एक सेट के साथ एक भुगतान सूचना अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ भेजें।

3. उपर्युक्त साख पत्र के अन्तर्गत आपका बैंक प्रभार ..... के द्वारा भारत से धन परेषण करके आपके साथ सीधे ही तय किया जाएगा ।

4. यह प्राधिकार ..... 197 .. तक वैध रहेगा।

भवदीय,

लेखा अधिकारी

अनुबंध-5

प्रपत्र

1. जिस निर्यातक/लाइसेंसधारी की ओर से बैंक गारंटी भेजी गई थी उसका नाम और पूरा पता।

2. आयात लाइसेंस संख्या और दिनांक तथा मूल्य ।

3. भेजी गई गारंटी की संख्या, दिनांक और धनराशि ।

4. साख पत्र खोलने के लिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त प्राधिकार पत्र के ब्यौरे :—

(क) प्राधिकार पत्र की संख्या और दिनांक

(ख) प्राधिकार पत्र की धनराशि (विदेशी मुद्रा में)

5. किए गए आयातों और जमा किए गए रुपयों के ब्यौरे

(क) संभरक (कों) का नाम

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित संभरक (कों) को चुकाई गई वास्तविक धनराशि (विदेशी मुद्रा में)

(ग) मनोनीत जर्मन बैंक द्वारा संभरक को भुगतान की तारीख

(घ) जमा रुपए की धनराशि

(1) संभरक को चुकाई गई विदेशी मुद्रा की धनराशि का समतुल्य रुपया। यूनिट विदेशी मुद्रा = रु० की दर से।

(2) चुकाया गया ब्याज।

(3) जिस अवधि तक ब्याज परिकलित किया गया है ..... से ..... तक ।

(4) कुल किया गया जमा।

(5) जमा करने का दिनांक और स्थान।

(6) राजकोष चालान की संख्या और दिनांक संलग्न किया जाता है। यदि राजकोष चालान पहले ही भेज दिया गया है तो जिस पत्र सं० और दिनांक के साथ वह भेजा गया था उसके संदर्भ को उद्धृत किया जाए।

(7) उपर्युक्त (घ)(4) में उल्लिखित रुपया डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया गया था तो ड्राफ्ट की संख्या, दिनांक और धनराशि और आपके जिस पत्र के साथ यह महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व को भेजा गया था उसके ब्यौरे का उल्लेख किया जाए।

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

[मिसिल सं० आई पी सी/38/7/76]

का० वें शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No. 71-ITC(PN)/78

New Delhi, the 3rd October, 1978

Subject : Terms and condition governing the issuance of import licence financed under West German Commodity Credit of DM 75 million for 1977-78.

[File No. IPC/39/7/76].—The terms and conditions governing the issuance of import licences financed under West German Commodity Credit of DM 75 million for 1977-78 as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

APPENDIX

CONDITIONS FOR LICENSING FOR IMPORTS UNDER THE WEST GERMAN COMMODITY CREDIT OF DM 75

Million for 1977-78

Section 1 : General Conditions

1(i). These conditions will be uniformally applicable to all importers for imports under the West German Commodity Credit of DM 75 million for 1977-78.

1(ii). The licence will bear the superscription "West German Commodity Credit of DM 75 million for 1977-78". The licence Code for the first and second suffix will be "S/GN". These will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence.

1(iii). Import licences issued on or after 1st April, 1977, only will be eligible for financing under this credit.

1(iv). No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's Commission should be made in Indian Rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

1(v). The goods and related services to be procured under this import licence can be imported from the Federal Republic of Germany including the Land Berlin or any other country. The overseas supplier is, therefore, free to procure material, etc. from a third country, if found necessary, for the execution of the contract.

1(vi). The minimum value for which an import licence can issue under this credit is Rs. 50,000. For the purpose of arriving at the value in foreign exchange into which import commitments can be entered into by the licensee against this import licence the value of the import licence should be computed at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs) under Section 15 of the Customs Acts, 1962 and indicated in the import licence as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74, dated the 6th June, 1974, issued by the Chief Controller of Imports and Exports.

1(vii). The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity period of 12 months for completing the shipments and payments. Firm orders meaning thereby purchase order placed by the Indian licence on the foreign supplier duly supported by confirmation from the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the foreign supplier must be finalised within a period of four months from the date of issue of the licence [vide para 1(viii) infra.].

1(viii). If firm orders, as explained in para 1(vii) above, cannot be finalised within the time limit of four months, the licence should submit to the Chief Controller of Imports and Exports (CCI&E), or other licensing authorities, as the case may be, a proposal seeking an extension in the ordering period along with justification and explanation as to why ordering could not be completed within the initial validity period. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merits of each case by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence, such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (WE-I Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi, who will consider such extension on the merits of each case and convey its decision to the licensing authorities for communication to the licensee. Only on production by the licensee of letter of the Licensing authorities sanctioning such extention, will the authorised dealers and departmental authorities permit the facility of bank guarantee, letters of authority for the establishment of letters of credit acceptance of deposits of rupee equivalent, etc.

1(ix). It will be in the interest of the licensee to ensure that firm order is completed within the stipulated time limit for ordering. In cases where this cannot be done the licensee should, of his own, approach the licensing authorities for a suitable extension in the period of ordering.

1(x). In cases where firm orders have not been placed for the full value of the licence during the initial validity period of the licence, it will be necessary for the licensee to obtain the permission of the licensing authorities in the same manner as explained in para 1(viii) above before placing orders against such unordered balance value of the licence.

Section II : **Special points to be kept in view while contracting.**

2(i). **Subject to condition 2(x) infra, the import licence should be utilised for import of goods the delivery period of which does not exceed 10 months from the date of placing firm orders.**

2(ii). **Supply orders should be placed on CIF or C&F basis in the case of private sector importers. In the case of public sector importers the orders should invariably be placed on C&F basis and insurance should be taken with an Indian insurance company. [vide para 2(iv) infra]**

2(iii). The contract price should invariably be expressed in the currency of the country in which the foreign supplier is situated. The contract price should be firm and final and no provision for any escalation would be permitted. If any commission is payable to an Indian Agent of the foreign supplier it must be distinctly shown in the contract as an item of cost payable in Indian rupees in India and the net amount payable to the foreign supplier should, therefore, be shown exclusive of such Indian Agent's commission.

2(iv). Whenever insurance is taken out on an India Insurance company, the premium should be paid in India in Indian Rupees.

2(v). As the contracts are required to be placed either on C&F or CIF basis in terms of para 2(ii) above, the foreign

supplier should be made responsible to pay the freight charges in foreign currency, even where Indian ships are used. In no circumstances the freight charges should be paid in Indian rupees.

2(vi). **Payments to foreign suppliers against the licence will be made by means of a special letter of credit, as explained in Section III below, No remittance of foreign exchange will be permitted against this import licence for this purpose.**

2(vii). It should be clearly understood that alongwith f.o.b. cost the freight charges are also eligible for coverage under the West German Credit provided the freight is paid in foreign currency.

2(viii). As regards transportation of goods purchased against the import licence, the party responsible for arranging shipment of the goods under the purchase contract will be free to choose the carriers. Shipment can be made from the country in which the suppliers are located or from a third country.

2(ix). In exceptional cases where public sector importers desire to place orders on FOB basis, they should obtain the prior approval of the Department of Economic Affairs (WE-I Section), Ministry of Finance for such placement of orders on FOB basis and such approval should be mentioned in the application for issue of letter of authority to the Controller of Aid Accounts & Audit. When permitted to place orders on FOB basis, the public sector projects should make arrangements for shipment of cargoes through the Shipping Co-ordination Committee of the Ministry of Shipping and Transport, or their authorised agents.

2(x). Payment to the foreign suppliers under the import licence should be completed by the 31st March, 1979. A suitable provision should therefore be made in the purchase orders/contracts to ensure completion of shipments and payments by 31-3-1979. In the case it is anticipated that payments cannot be completed by that date, a request for extension with adequate justification must be made to the Department of Economic Affairs (Controller of Aid Accounts and Audit), UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi by 29th February, 1979. Such request will be considered on merits.

Section III—**Payment to the foreign supplier—'special' Letter of Credit Procedure.**

3(i). Within a fortnight of placing firm orders, [as defined in para 1(vii) above] the licence should make a request to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Partliament Street, New Delhi-1, for the issue of a Letter of Authority in the form prescribed in Appendix I. The request should specify the name of the Bank to be chosen, out of the following seven designated Banks in West Germany through whom the payment to the suppliers is required to be arranged :

(a) The Bayerische Vareinsbank, Munich.

(b) The Commerzbank A. G., Frankfurt.

(c) The Deutsche Bank A.G., Postfach 101440-D-2000, Humburg.

(d) The Dresdner Bank A. G., Gallusanlage, 7-8 6, Frankfurt|Main.

(e) The Berliner Handels Gasellschaft Frankfurter Bank Franfurt-Main.

(f) State Bank of India, Frankfurt.

(g) Vereins-Und West Bank, Hamburg.

3(ii). In the case of **private sector undertakings** the request mentioned in para 3(i) above should be accompanied by a Bank Guarantee from a Scheduled Bank in India auothorised to deal in foreign exchange (in the prescribed form in Annexure-II) duly adjudicated by the Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamps Act, 1899.

3(iii). No Bank Guarantee is required in respect of public sector importers.

3(iv). Failure to make the request for issue of letter of authority within a fortnight from the date of placement of firm orders will be deemed to be a violation of the import Control Regulation.

3(v). **Bank Guarantee-amount for which it should be executed.**

The Bank guarantee, where necessary, should for an amount representing the rupee equivalent of the amount in foreign currency for which the Letter of Authority is sought plus interest and other charges as mentioned in Annexure-II. The prevailing rate of conversion shall be at the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated the 6th June, 1974. This rate is meant only for the purpose of arriving at the value of the Bank Guarantee to be furnished by the importer. For purposes of making rupee deposits into Government account towards the foreign currency cost of imports made under the licence, the rupee equivalent will have to be worked out at the composite rate for the DM amounts spent by the German Bank in arranging payments to the foreign supplier i.e. either in DM if the overseas supplier is located in West Germany including Land Berlin or the DM spent for arranging payment in the currency of the country in which the overseas supplier is located, in terms of Public Notice No. 15-ITC(PN) 72 dated 27.11.972,/Public Notice No. 108-ITC(PN)/72 dated 21-7-1972 and Public Notice No. 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-1976 as amended from time to time, until further notice. Any change in this regard will be notified as and when necessary.

3(vi) When the request for the Issue of Letter of Authority (supported by Bank Guarantee where necessary) contemplated in para 3(i) above, is found to be in order, the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, will issue a Letter of Authority to the designated bank concerned (as in Annexure-IV), authorising payment upto the specified amount of the Overseas Suppliers on the basis of a special Letter of Credit to be opened by the importer's bank in India. A copy of such authorisation will be sent to the Indian licensee. The original Letter of Authority alongwith a copy thereof will be sent to the concerned Indian Bank authorised to open the Letter of Credit, asking it to transmit the original Letter of Authority to the designate bank concerned alongwith the Letter of Credit opend by it. (Such a direction will be given in the form attached as Annexure-III). No bank in India should provide facilities to the licence for establishing a Letter of Credit unless a Letter of Authority has been received by such Bank directly from the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

3(vii). **The Special Letter of Credit on the designated bank should be opened within thirty days** from the date of the issue of authorisation under intimation to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

3(viii). The payments to the foreign suppliers will be made by the designated bank concerned on collection of documents and statements even where foreign supplier is situated in a country other than the Federal Republic of Germany, the negotiation and payment of documents would be done by the designated bank concerned. The designated bank concerned will obtain reimbursement of the DM amounts from the West German authorities. In the case of supplies by countries other than Federal Republic of Germany, the designated bank will obtain reimbursement from the West German authorities of the amounts in DM spent by it to make the payments to the overseas suppliers in the currency of the country in which they are located.

3(ix). Incidential bank charges incurred by the designated bank both for payment in the Federal Republic of Germany as well as for arranging the payment in third country will be remitted by the concerned bank in India to the designated bank through the normal banking channel without affecting the Government of India's account.

Section IV—**Responsibility for Rupee Deposits into Government Account.**

4.(i) The original shipping documents should invariably be forwarded by the designated bank concerned both in the case of imports from West Germany including Land Berlin and other countries to the concerned bank in India who should, within 10 days of receipt of these documents, release these negotiable set of documents to the licensee but **only after** ensuring the recovery of the rupee equivalent of DM amount paid to the German supplier or the DM amount spent in arranging the payments to the supplier in the third country by the designated bank concerned alongwith interest charges thereon from the date of payment to the foreign supplier to the date of deposit of the rupee equivalent into the Government Account. In terms of Public Notice No. 46-ITC (PN)/76 dated the 16th June, 1976, the interest charges are to be calculated as under :—

(i) Where deposits are made within 30 days after from the date of payment to the supplier. 9 per cent per annum.

(ii) Where rupee deposit are made more than 30 days after the date of payment to the supplier.

(a) for the first 30 days 9 per cent per annum.

(b) for period in excess of 30 days 15 per cent per annum.

The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the foreign currency payments made to the foreign supplier will be the composite rate of exchange as laid down in CCI & E's Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 as may be notified by Government from time to time through Public Notice of the CCI&E and/or through the Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. **It will be the responsibility of the Indian bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers.** The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before taking delivery of the documents from their bankers.

4(ii) The deposits envisaged in para 4(i) above may be made in cash either at the Reserve Bank of India, New Delhi or at the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or if this is not feasible, the amounts may be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries (Drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-(Drawee and Payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notice No. 233-ITC(PN))/68 dated 24th October, 1968 and Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31st May, 1974. The head of account to be credited is : 'K-Deposits and advances (b)—Deposits not bearing interest-843-Civil Deposits-Deposits for Purchases etc. from abroad-Purchases under DM 75 million West German Commodity Credit for 1977-78.'

4(iii). In the Treasury Challans, the following particulars should invariably be furnished :

(a) Ministry of Finance Letter of Authority No. & Date.

(b) Amount of foreign currency in respect of which deposits are to be made together with the rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the foreign suppliers.

(d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.

(e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of paymet to the foreign suppliers upto the date of deposit of rupee equivalents into Government account both days inclusive).

4(iv). One copy of the Challan from the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 or intimation regrading the submission of Demand Draft to the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 should be sent by the Indian Bank which has issued the guarantee, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1 alongwith a forwarding letter, giving full details of the Advice Notes received from the concerned designated bank in West Germany.

4(v). It will be obligatory for the importers to make the requisite rupee deposits through authorised dealers only and also to get the exchange control copy of the licence endorsed by them, as required in Public Notice No. 184-ITC(PN)/68, dated the 30th August, 1968. They should also fill in the requisite 'S' forms as prescribed by the Reserve Bank of India.

4(vi). After the imports under a licence are completed and the importers/bankers have deposited into Government account all the amounts due, details of the imports received and of rupee deposits made should be furnished to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi-1 in the proforma prescribed as Annexure-V to enable the Ministry of Finance to verify and arrange for release of the bank guarantee furnished by the importers, wherever necessary.

Section V : **Miscellaneous Provisions.**

5(i). **Credit facilities from foreign supplier**

Credit facilities offered by the foreign suppliers can be availed of by the importers, with the prior approval of the Controller of Aid Accounts & Audit (CAA&A), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, provided however that :

(a) The foreign supplier is willing to ship at his own risk the goods without insisting upon prior establishment of a letter of credit.

(b) The credit facility **is not extended beyond 90 days from the date of shipment and that all payments are completed before March 31, 1979.**

(c) No interest charges, direct or indirect, are payable by the importer for the credit extended, and

(d) The importer should clearly indicates in the application to the CAA&A the following details :—

(i) Value of I. L. :

(ii) Value of L as already obtained; if any.

(iii) Value of L/Cs. opened against each L/A.

(iv) Value of Credit facility asked for;

(v) Certificate that the value of credit facility asked for is available in the licence against which LAs have not been issued/against LAs issued sufficient amount is available against which no further L/Cs will be opened or shipments will be made.

The importers who satisfy the above conditions, will be informed, on request, of the detailed procedure to be followed by the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

5(ii) **Notifying suppliers of Special Conditions**

The licensee should appraise the foreign supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transactions.

5(iii) **Disputes** :

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes if any that may arise between the lincensee and the suppliers.

5(iv). **Compliance with Instructions :**

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations

under the DM 75 million Commodity Credit Agreement with the KfW Authorities.

5(v) **Breach or Violations**

Any breach or violation of conditions setforth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

5(vi). **List of Annexures**

Annexure-I : Form of Request for Letter of Credit/Authorisation.

Annexure-II : Form of Guarantee Bond.

Annexure-III : Form of Letter of Instructions forwarding the Letter of Authority.

Annexure-IV : Letter of Authority Form.

Annexure-V : Form of Report of rupee deposits cum application for release of Bank Guarantee.

ANNEXURE-I

Request for issue of the Letter of Authority

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, Parliament Setreet,
New Delhi-110001

Subject :—Import of——————from———under West German Commodity Credit for 1977-78 (DM 75 million Credit).

Sir,

In connection with the import of————from———— under the above mentioned West German Commodity Credit, we furnish the following particulars to enable you to issue the authority for opening a letter of credit through————on the Bayerische Vereinsbank, Munich, or Commerzbank, A.G., Frankfurt or Deutsche Bank A.G. Hamburg or the Dresdner Bank A.G., Frankfurt, or Berliners Handels, Frankfurter Bank Frankfurt Main or State Bank of India, Frankfurt or Vereins-Und West Bank, Hamburg.

(a) Name and Address of the Importer.

(b) Number, date and value of licence (photostat copy of the import licence may be attached).

(c) Value in foreign currency and date of the order placed and accepted by the supplier, indicating payment terms viz., (c.i f. or c&f) (In no case, letter of authority should be applied for f.o.b. value).

(d) A certificate that firm orders (with supplier's order confirmation) have been placed within a period of 4 months from the date of import licence. The date of placement of orders against each supplier and the date of their acceptance should be indicated separately in the certificate. If orders have been placed after the stipulated period of 4 months, a copy of CCI&E's letter/Ministry of Finance's letter authorising extension of time for placing firm orders as the case may be, should be attached.

(e) Short description of the goods to be imported.

(f) Foreign currency amount for which Letter of Authority is required.

(g) Name and address of the suppliers and the foreign currency amount payable for such suppliers, (to be expressed in the currency of the country in which the supplier is located and the DM equivalent thereof).

(h) In case the suplier happens to be located in a country other than West Germany, the name of the supplier's bank to whom the amount is to be remitted by the designated bank in West Germany should be indicated.

(i) Expected date of completion of deliveries.

(j) A schedule showing probable dates on which payments under the contract will fall due.

The Letter of credit will be opened through....

————————————

————————————

(Name and address of the Indian scheduled bank, authorised to deal in foreign exchange).

and Bank Guarantee No.———— dated ———— for Rs.———— furnished by the above mentioned bank and which has been duly adjudicated by the Collector of Stamps, in accordance with Section 31 of the Stamps Act, 1899 is attached.

Yours faithfully,
(Licensee)

Copy forwarded to———————— Bank for information.

ANNEXURE-II

GUARANTEE BOND

To

The President of India

In consideration of the President of India (hereinafter called the (Government) having agreed to arrange for payment in (mention the appropriate amount in foreign currency) for the import of ———— by———— (hereinafter called the 'importer') against the licence No. ———— dated ———— issued under the terms and conditions of West German Commodity Credit for 1977-78 and in pursuance of import in favour of the importer against the above mentioned agreement, We———— Bank, at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit the amount of the disbursements made by

————————————

(Name of the designated bank in West Germany)

the nominated by the importer converted at the prevailing rate of exchange calculated as per instructions issued by the Gobernment in the matter from time to time within 10 days of the receipt of advice of payments, for credit to the Government account, in the manner and against the appropriate Heads of Accounts, as indicated by Government of India under the said credit together with interest thereon at the rates of 9 per cent per annum for the first thirty days and at 15 per cent per annum for the period in excess thereof, reckoned from the date of payment to the foreign supplier to the date of deposit of rupee equivalent for credit into the Government account. The negotiable set of import documents received from the designated Bank will be released to the Importer only after the rupee deposits contemplated above have been made.

2. We, the————————Bank also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the importer of any sum that may be due and payable from time to time by the importer to the Government at such place and in such manner as the Government may from time to time direct, such sums not exceeding Rs————or any part thereof, for the time being due and payable by the importer, together with interest thereon at the rate of 9 per cent per annum for the first 30 days and at 15 per cent per annum for the period in excess thereof, recokoned from the date of payment to the foreign supplier. The decision of the Government as to any default in the said payment by the importer on his part and in regard to the amount payable to the Government by us————————Bank shall be final and binding on us————————Bank.

3. We————Bank further agree that in case of increase in the value of imports or decrease in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of change in the composite rate of exchange, the amount of this guarantee bond will be adjusted as on the date when the change takes place, in proportion of this change.

4. We————Bank further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said Agreement/Contract and that it shall continue to be enforceable till and the dues to the Government under, or by virtue of this guarantee have been fully paid and its claim satisfied or discharged.

5. The gurantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the importer of the———— ————Bank and the Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to postpone for any time and from time to time any of the powers exerciseable by it against the importer and the———— Bank shall not be released from its liability under this guarantee by any exercise of the Government of the liberty with reference to the matters aforesaid or by reason of the time being given to the importer or any other forbearance, set or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the Importer or by any other matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the effect of so releasing the————Bank from its such liability.

6. We————Bank lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency, except with the previous consent of Government, in writing.

7. Our liability under this guarantee is restricted to Rs.———— ———— (plus interest and other charges, not expected to exceed 1 per cent of the guarantee amount) and it will remain in force till the.....day of....*....(month) ————, 197 . Unless claims under the guarantee are made in writing within 6 months of this date and unless a suit or action to enforce these claims is commenced within another six months thereafter i.e. upto.... ... .all Government rights under this guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Dated————day of————

for————Bank.

Accepted for and on behalf of
the President of India, by
Shri (Name and Designation).

Signature Signature

*This date shall be arrived at by adding one month to the date upto which the Letter of Authority is required to be kept valid.

Notes The value of stamped paper in which this guarantee is to be executed is to be adjudicated by the Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamps Act.

ANNEXURE-III

To

————

————

Subject :—Import under German Commodity Credit—Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit Import Licence No.———— dated————.

Dear Sirs,

With reference to letter No.————dated the ————from the————in which they have requested permission for opening a letter of credit through your bank under the German Commodity Credit for 1977-78, I am to enclose the Department of Economic Affairs Letter of Authority No.————dated———— (with one spare copy) authorising them to arrange payment up to————to the foreign supplier. This letter of authority should be sent by you to the———— alongwith the LETTER OF CREDIT opened by you.

2. You are hereby authorised to open the Letter of Credit for an amount not exceeding————within a period of thirty days from the date of this letter, under intimation to this Department. In terms of para 10 Section VII of the Exchange Control Manual, you are required to ensure that the date of expiry of the Letter of Credit is not later than 45 days after the final date of shipment as stated in the relative import licence or the date indicated in the Letter of Authority whichever is earlier. Before opening the Letter of Credit, it may please be ensured that the importer is in possession of a valid import licence.

3. You are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the amounts in Deutsche Mark spent by (name of the designated bank) to effect payments in D.M. to the suppliers in the Federal Republic of Germany including land Berlin or in other foreign currency to the foreign supplier in other countries in terms of the Guarantee furnished by you within 10 days of the receipt of documents from the ————. The rupee equivalents of the amount disbursed to the foreign suppliers will have to be calculated by applying the prevailing rate of conversion as instructed in Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated 28-1-72, Public Notice No. 108-ITC(PN)/72 dated 21-7-72 and Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-76 until further notice. **this rate is subject to revision which will be notified from time to time** by Public Notices. Interest at the rate of 9% per annum for the first thirty days and at 15% per annum for the period in excess thereof, reckoned from the date of payment to the suppliers and the date on which the rupee equivalents are deposited is also required to be deposited into Government account. **It will be your responsibility to arrange for the deposit of these amounts, before the import documents are handed over to the importer.**

4. These amounts should be deposited in cash either at the Reserve Bank of India, New Delhi or at the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or if this is not feasible the amounts may be remitted by means of a demand Draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries (Drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch Delhi-6 (Drawee and Payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notice No. 233-ITC(PN)/68 dated 24th October, 1968 and Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31st May, 1974. The Head of Account to be credited is: "K-Deposits and advances—(b)—Deposits not bearing interest—843—Civil Deposits—Deposits for Purchases etc. from abroad—Purchases under DM 75 million West German Commodity Credit for 1977-78".

5. One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Delhi should be sent by you to the address given below, alongwith a forwarding letter giving full details of the Advice Notes received from the designated Bank in West Germany :

The Controller of Aid Accounts & Audit
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, Parliament Street,
New Delhi.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated the 24th October, 1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases full particulars of the rupee equivalents, deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

Yours faithfully,
Accounts Officer.

Copy forwarded to M/s.————with a copy of the Letter of Authority No.————for information, with reference to their letter quoted above. In case the Foreign Suppliers anticipate any difficulty in complying with the transport of goods, the services of M/s. Schenker and Company, Hamburg, West Germany, may be availed of.

Accounts Officer.

ANNEXURE IV

LETTER OF AUTHORITY NO.————————

Government of India

Ministry of Finance
(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 197

To

(Name and Address of the designated bank in West Germany).

Dear Sirs,

Subject.—Procedure for payments to overseas suppliers through the Letter of Credit Cover—Deposit Account with you under Commodity Credit for 1977-78 from the Federal Republic of Germany.

In accordance with the terms and conditions of the above procedure, agreed upon through letter Nos.———— dated the————, addressed to your Bank by the Chief Accounting Officer, High Commission of India, London, we hereby authorise you to spend such an amount in DM as may be found necessary to pay (the amount in foreign currency concerned) to (name of the supplier) ———— (applicable in the case of third country suppliers) through their bankers————or to pay an amount of DM————to————(applicable in the case of West German Supplier), as the case may be under the letter of credit to be opened by———— for covering the import of———— against contract entered into by————.

2. After each payment, the shipping and other documents (negotiable) may be forwarded direct to———— and a payment advice alongwith one set of documents (non-negotiable) sent to the undersigned for information.

3. Your banking charges under the above letter of credit will be settled directly with you by the———— by remittance from India.

4. This authority will remain valid upto————19

Yours faithfully,
Accounts Officer

ANNEXURE V
PROFORMA

1. Name and full address of the importer/licence on whose behalf the bank guarantee was furnished.

2. The import licence number and date and value.

3. Number, date and amount of the guarantee furnished.

4. Particulars of the Letter of Authority for opening Letter of Credit obtained from the Ministry of Finance.

(a) Number and date of the Letter of Authority.

(b) Amount of the Letter of Authority (in foreign currency).

5. Particulars of Imports effected and rupee deposits made.

(a) Name of supplier (s).

(b) Amount in foreign currency actually paid to the supplier(s) mentioned at (a) above.

(c) Date of payment to the supplier by the designated bank in West Germany.

(d) Amount of rupee deposits :

(i) Rupee equivalent of foreign currency amount in DM paid to the supplier 1 Unit of foreign currency = Rs.

(ii) Interest paid.

(iii) Period for which the interest has been calculated from to

(iv) Total deposit made.

(v) Date and place of deposit.

(vi) Number and date of the Treasury Challan (to be enclosed). If the Treasury Challan has already been sent, reference to the letter number and date with which it was sent may be quoted.

(vii) If the rupee deposit mentioned in (d) (iv) above was made by means of Demand Draft, the number, date and amount of the draft and particulars of your letter/with which it was sent to the Accountant General, Central Revenues, to be indicated.

6. Amount utilised and balance unutilised (foreign currency) against each Letter of Authority.

7. A certificate that the balance indicated in 6 above, has not been utilised and no shipment has been made thereof, and the same may be treated as lapsed.

(Authorised signatures)

[File No. IPC/39/7/76]

K. V. S. SESHADRI, Chief Controller of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978